न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 37/2023

अनवान : –

1. हरपेश सिंह पुत्र भजनसिंह जाति जटसिंख निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. भजनसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिंख निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
2. कमरजीत कौर पुत्री भजनसिंह जाति जटसिंख निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 5/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 138/73 की 5.2220है0 भूमि एवं रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 137/73 की कुल 2.0110है0 भूमि में से 1125/4022 हिस्सा एवं रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू के खाता स0 219/206 की कुल 8.5860है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 2 जो कि वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई यानि की वादी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रौही मौजा खोपड़ा के खाता स0 138/73 व 137/73 में वादी काबिज है एवं रोही मौजा साहवा की वाद भूमि पर प्रतिवादी स0 1 काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाने का अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एव प्रतिवादी स0 1 ता 2 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर पारिवारिक राजीनामा पेश किया गया की प्रतिवादी स0 2 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 138/73 की 5.2220है0 भूमि एवं रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 137/73 की कुल 2.0110है0 भूमि में से 1125/4022 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 ने वादी को दे दी एवं रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू के खाता स0 219/206 की कुल 8.5860है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 स्वयं ने अपने नाम रख ली इसलिए वादी एव प्रतिवादी स0 1 ता 2 के राजीनामा के अनुसार वाद वादी डिक्री किया जावें। यह राजीनामा हम पक्षकारान ने अपने होश हवाश बिना किसी दबाव के तहरीर किया है। प्रतिवादी सं0 3 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नामान्तरण स0 754 दिनांक 11.04.22 रोही मौजा खोपड़ा ईएक्सपी-1, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भंगुल ईएक्सपी-2, जमाबदी रोही मौजा खोपड़ा सम्वत 2073-2076 खाता स0 138/73 ईएक्सपी-3, जमाबंदी रोही मौजा खोपड़ा सम्वत 2073-2076 खाता स0 137/73 ईएक्सपी-4, जमाबंदी रोही मौजा साहवा खाता स0 219/206 ईएक्सपी-5 आदि पेश किये।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 2 वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग उक्त भूमि का पारिवारिक समझौता अनुसार रोही मौजा खोपड़ा की भूमि प्रतिवादी स0 1 ने वादी को दे दी एवं रोही मौजा साहवा की भूमि प्रतिवादी स0 1 ने स्वयं अपने पास रख ली। वादी एवं प्रतिवादीगण राजीनामा के अनुसार वाद वादी डिक्री करवाने के अधिकारी है। वादी के वाद के संबंध में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी [illegible] मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 138/73 की 5.2220है0 भूमि [illegible] नोहर के खाता स0 137/73 की कुल 2.0110है0 भूमि में से 112[illegible] हिस्सा भूमि, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा अन्यत्र कृषि भूमि होना भी स्वीकार किया गया है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 138/73 की 5.2220है0 भूमि एवं रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 137/73 की कुल 2.0110है0 भूमि में से 1125/4022 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है एवं रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू के खाता स0 219/206 की कुल 8.5860है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी स0 1 काबिज है इसलिए वादी एव प्रतिवादी स0 1 ता 2 के राजीनामा के अनुसार वाद वादी डिक्री किया जावें। वाद वादी आपसी राजीनामा एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 138/73 की 5.2220है0 भूमि एवं रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 137/73 की कुल 2.0110है0 भूमि में से 1125/4022 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 5/4/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:42 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 37/2023

अनवान : –

1. हरपेश सिंह पुत्र भजनसिंह जाति जटसिंख निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. भजनसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिंख निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
2. कमरजीत कौर पुत्री भजनसिंह जाति जटसिंख निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 37 सन 2023 निर्णय दिनांक....5/4/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं वादी व प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 138/73 की 5.2220है0 भूमि एवं रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खातण स0 137/73 की कुल 2.0110है0 भूमि में से 1125/4022 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/4/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:42 IST
Reason: SelfAttested